छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2006 -2007

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) : माननीय श्री केदार कश्यप

सचिवालय

सचिव	:-	श्री नारायण सिंह,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:-	1. श्री अभिषेक बाजपेयी, 2. श्री कैलाश मढ़रिया,
अवर सचिव (स्थापना)	:-	श्री याकुब खेस,

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	:-	श्री आर.एन.गुप्ता,

क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ।
पंचतत्व यह अधम शरीरा ।

प्रस्तावना:

पेयजल जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है । प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से एवं नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । जन सामान्य को पेयजल एवं निस्तार हेतु जल उपलब्ध कराने के साथ भू-जल भण्डारण को अक्षुण्य रखने के प्रयास भी किये जा रहे है ।

विभाग के मुख्य दायित्व :

ग्रामीण क्षेत्र

- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन करना ।
- हैण्डपंपों का संधारण ।
- पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता की मानिटरिंग एवं पेजयल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में वैकल्पिक शुद्ध पेजयल स्त्रोत निर्मित कर योजनाओं के कार्य संपन्न करना ।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चिन्हित गरीबी रेखा के परिवारों हेतु स्वच्छ शौचालयों एवं पर्यावरण स्वच्छता से जुड़ें हुए सभी संबंधित कार्यक्रमों का समन्वय करना । यह कार्यक्रय भारत शासन द्वारा प्रदत्त राशि एवं जनभागीदारी के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है ।
- भू-जल संवर्धन योजनाएँ क्रियान्वित करना ।

नगरीय क्षेत्र

- पेयजल एवं मल निकास योजनाओं का नगरीय इकाईयों का सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन करना ।
- पेयजल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी ।

विभागीय संरचना :

शासन स्तर पर

सचिव, दो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (तकनीकी) एवं एक अवर सचिव (स्थापना)।

विभागाध्यक्ष कार्यालय

मुख्यालय मे विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता तथा दो परिक्षेत्र कार्यालय क्रमशः मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर एवं मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर है।

क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल एवं खण्ड कार्यालयः

अधीक्षण अभियंता कार्यालय पॉँच मण्डलों में विभक्त है, जिनके मुख्यालय क्रमशः रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में स्थित है। राज्य के समस्त 16 जिलों में एक-एक खण्ड कार्यालय स्थापित है जिनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भौगोलिक जिला है । प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के कियान्वयन हेतु एक-प्रोजेक्ट इंजीनियर है इनके अधीन 3 परियोजना खण्ड क्रमशः रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई है । भूजल-संवर्धन के कार्यो हेतु एक भूजल-संवर्धन खण्ड रायपुर में है। रायपुर मुख्यालय में विभाग का एक वि./यॉं. मण्डल जिनके अधीन 5 वि./यां. खण्ड कार्यालय है, जिनका मुख्यालय क्रमशः रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर ।

विभाग की स्वीकृत संरचना निम्नानुसार पद है :

पद		सिविल संकाय	मेकेनिकल संकाय
➢ प्रमुख अभियंता	-	01	-
➢ मुख्य अभियंता	-	02	01
➢ अधीक्षण अभियंता	-	09	01
➢ कार्यपालन अभियंता	-	24	06
➢ सहायक अभियंता	-	102	20
➢ सहायक अभियंता (एम0आई0एस0)	-	01	-
➢ उप अभियंता	-	335	88
➢ तकनीशियन (हैण्डपंप)	-	730	-

संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सी.सी.डी.यू.)

➢ इस इकाई में एक निदेशक एवं 3 सलाहकार है जो प्रमुख अभियंता के निर्देशन में कार्य करते है इनका मुख्य कार्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है ।

राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं :

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम:

- समस्त ग्रामों/बसाहटों में नलकूप खनन कर हैण्डपंप अथवा स्थल जलप्रदाय के माध्यम से न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ एवं सुरक्षित जल आपूर्ति ।
- वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 2000 या 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना के माध्यम से न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ एवं सुरक्षित जल आपूर्ति।
- शालाओं में पेयजल व्यवस्था ।
- अवांछित एवं विभिन्न तत्वों की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा के विद्यमान होने के फलस्वरूप गुणवत्ता से प्रभावित जल स्त्रोतों का उपचार एवं वैकल्पिक जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन ।
- पेयजल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी ।
- भूजल संवर्धन एवं संरक्षण ।

प्राथमिकताएं

- भारत निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2003 सर्वेक्षण के अनुसार अछूती आंशिक पूर्ण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराना ।
- भारत निर्माण योजना के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक स्त्रोत निमार्ण कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ।
- ग्रामीण शालाओं में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था ।

पेयजल योजना एक दृष्टि में

1.	कुल बसाहटें (सर्वेक्षण 2003)	-	**72775**
2.	दिनांक 01-04-2006 की स्थिति में पूर्ण बसाहटें	-	**56606**
3.	शेष बसाहटें (01-04-2006)		
	अ. अपूर्ण बसाहटें	-	**6791**
	ब. आंशिक पूर्ण बसाहटें	-	**9378**
4.	वर्ष 2006-2007 हेतु लक्ष्य	-	**10000**
	अ. अछूते बसाहट	-	**4200**
	ब. अंशिक पूर्ण बसाहट	-	**5800**

5.	दिनांक 31-01-2007 तक उपलब्धियां		
	अ. अछूते बसाहट	-	3276
	ब. अंशिक पूर्ण	-	4780
	कुल		8056
			80.56%
6.	अनुमानित शेष बसाहटें दिनांक 01-04-2007 की स्थिति में		
	अ. अछूते बसाहट	-	2591
	ब. शेष आंशिक पूर्ण	-	3578
	कुल :	-	**6169**

टीपः- भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शेष बसाहटों मे वर्ष 2008-09 तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

7.	कुल स्थापित हैण्डपंप	-	176888
	अ. कार्यरत हैण्डपंप	-	174498
	ब. सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत बंद हैण्डपंप	-	2390
8.	कुल पूर्ण स्थल जलप्रदाय योजना	-	607

<u>शालाओं में पेयजल व्यवस्था (दिनांक 31-01-2007 की स्थिति में)</u>

1.	कुल ग्राम	-	19551
2.	कुल शालाएं	-	32796
3.	निजी भवन में संचालित शालाएं	-	2965
4.	भवन युक्त शालाओं की संख्या	-	29831
5.	कुल शालाओं में पेयजल व्यवस्था	-	27231
6.	शेष शालाओं में पेयजल व्यवस्था	-	2600
7.	लक्ष्य वर्ष 2006-2007	-	2600
8.	दिनांक 31-01-2007 तक उपलब्धि	-	2394
			(92.02%)

ग्रामीण नलजल योजनाऐं :-

मापदण्ड:.

- ग्राम की आबादी जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 2000 या 2000 से अधिक होनी चाहिये ।
- जल स्त्रोत की गुणवत्ता/क्षमता पेयजल हेतु उपयुक्त होनी चाहिये ।
- ग्राम में विद्युत व्यवस्था होनी चाहिये ।
- ग्राम पंचायत योजना के संधारण एवं संचालन हेतु सहमत होनी चाहिये ।

नलजल योजला एक दृष्टि में:.

1.	कुल ग्राम (2000 से अधिक आबादी)	-	**1421**
2.	नलजल योजना हेतु अनुपयुक्त ग्राम	-	**218**
2.	नलजल योजना हेतु उपयुक्त ग्राम	-	**1203**
3.	नलजल योजना पूर्ण ग्राम	-	**950**
4.	नलजल योजना आंशिक पूर्ण ग्राम	-	**77**
5.	वर्ष 2006-2007 में स्थिति	-	**182**
	अ. पूर्ण नलजल योजना	-	**57**
	ब. प्रगतिरत नलजल योजना	-	**90**
	स. कार्य प्रारंभ	-	**35**

पेयजल गुणवत्ता

स्वच्छ जल वह जल है जो -

- रंगहीन हो ।
- गंध रहित हो ।
- पीने में अच्छा लगे ।
- जिससे भोजन आसानी से बनता हो ।
- पाचन क्रिया प्रभावित न हो ।
- साबुन उपयोग करने पर पर्याप्त झाग उत्पन्न करता हो ।

सामान्यत: प्रदेश के पेयजल में पेयजल की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले तत्व मुख्यत: लौह, आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं खारा पानी तत्वों की आधिक्य है ।

- प्रदेश के 9922 बसाहटें जलगुणवत्ता से प्रभावित है, जिसमें 95% आयरन आधिक्य, 0.01% फ्लोराइड, 0.01% आर्सेनिक एवं 1.0% खारे पानी आधिक्य तत्व युक्त बसाहटें है ।
- प्रदेश में फ्लोराइड व आर्सेनिक जलगुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक स्त्रोत की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश के जिला बस्तर, कोरबा, व राजनांदगांव की योजना लागत 3274.00 लाख भारत शासन से स्वीकृत हो चुकी है तथा जिला बस्तर, दंतेवाड़ा साथ ही कांकेर की योजना लागत रू. 17029.36 लाख, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है । इन योजनाओं की लागत का 75% भारत शासन तथा 25% राज्य शासन वहन करेगी ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यकम:-(RGNRQMP)

उद्देश्य

- समुदाय द्वारा प्रदेश में सभी पेयजल स्त्रोतों की निगरानी तथा जांच करना ।
- प्रदेश में ग्रामीण पेयजल के सभी स्त्रोतों की जलगुणवत्ता निगरानी तथा जांच को विकेन्द्रीकृत करना ।
- जलगुणवत्ता निगरानी तथा जांच के लिऐ सामुदायिक भागीदारी तथा पंचायती संस्थाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाना ।

- जलगुणवत्ता मामलों तथा जल जनित रोगों से संबंधित समस्याओं के बारे में ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना ।
- पंचायतों की क्षेत्रीय परीक्षण किटों का उपयोग करने तथा अपने संदर्भित ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी पेयजल स्त्रोतों की जलगुणवत्ता निगरानी करने के लिये ओ.एण्ड एम. की समूची जिम्मेदारी लेने के लिये क्षमता को बढ़ाना ।

कार्यक्रम की प्रदेश की वर्तमान स्थिति:-

- राज्यस्तरीय कार्यशाला संपन्न की गई ।
- इस कार्यशाला में 16 जिलों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया ।
- मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लाक स्तर का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराया गया ।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ ।
- ग्राम पंचायत स्तर में 50,000 व्यक्तियों को माह मई 2007 तक प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।

राज्यस्तरीय प्रयोगशाला:.

- प्रदेश में वर्तमान में पेयजल परीक्षण हेतु राज्यस्तरीय प्रयोगशाला स्थापित किये जाने का प्रावधान है, इस हेतु भारत सरकार को रू. 320.00 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है। 10 जिलों में प्रयोगशाला है तथा 6 जिलों में प्रयोगशाला आंशिक रूप से कार्यरत है ।

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :-

संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग पर आधारित व जन भागीदारी से संचालित योजना है इस योजना के मुख्य उददेश्य :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन में गुणात्मक सुधार लाना ।
- जन जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छतागत सुविधाओं के लिये मांग पैदा करना ।
- प्रदूषित जल स्वच्छता हीनता जनित रोगों को कम करना ।
- इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियां ।

  प्रारंभिक गतिविधियों में परियोजना प्रस्ताव तैयार की जावेगी व स्वच्छता सुविधाओं की मांग घरों, आंगनबाड़ियों, शालाओं व महिला केन्द्रों में उत्पन्न करना ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता मार्ट स्थापना, जिससे ग्रामीणों को शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सके ।

- व्यक्तिगत गृह शौचालयों के निर्माण हेतु गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में शौचालय निर्माण (रू.1500/-) का रू. 300/- का अंशदान हितग्राही, रू. 300/- राज्य शासल तथा रू. 900/- भारत शासल का सहयोग राशि दिया जाना प्रस्तावित है ।

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम प्रदेश की वर्तमान स्थिति:-

- संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जा चुका है ।
- कुल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या 1404484
- कुल गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों की संख्या 1652005
- नये पुनरीक्षित गाइड लाइन (रू. 1500/- प्रति यूनिट) के अनुसार 16 जिलों की परियोजना लागत रू. 442. 52 करोड़ ।
- कुल निर्मित निजी शौचालयों की संख्या बी.पी.एल. 185881, ए.पी.एल.75422
- कुल निर्मित स्कूल सेनेटरी कम्पलेक्सों की संख्याा 4525
- कुन निर्मित आंगनबाड़ी स्वच्छता परिसर 805
- संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु भारत शासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना को शुरू किया, जिसके अंतर्गत गत वर्ष राजनांदगांव जिले की 12 ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार दिया गया । इस वर्ष राज्य के 6 जिलों की 116 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किये गये है ।

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल कष्ट से निपटारे के लिये संबंधित कार्य :-

- राज्य शासन द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पेयजल कष्ट की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यकतानुसार नये नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना, पुराने हैण्डपंपों के बदलीकरण का कार्य, नलकूप में जल स्तर के मान से राइजर पाइप का विस्तार, भरे/पटे नलकूपों की सफाई, हाइड्रोफैक्चरिंग तथा बंद नलजल/स्पाट सोर्स योजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है ।

जल संचयन (भू-जल संवर्धन):

- विगत एक दशक में प्रायः प्रति वर्ष मानसून की अनिश्चितता व अल्प वर्षा से प्रदेश के भू-जल स्तर में तीव्र गिरावट परिलक्षित हुई है। प्रदेश के कई स्थानों पर यह स्थिति चितंनीय है। विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपंप/नलकूपों की निरंतरता बनाये रखने हेतु भू-जल संवर्धन के कार्य व्यापक रूप से किये जाने हेतु अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

- भू-जल संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न अवयव के कार्य पूर्ण हो चुके है:
  - मेसनरी स्टाप डेम - 74
  - बोल्डर चेक डेम - 191
  - परकोलेशन टैंक - 32
  - डाईक - 17
  - सिल्ट ट्रैप - 170
  - विलेज पौंड - 13
  - डिसिल्टिंग आफ टैंक - 88
  - रिचार्ज पिट - 25

राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत एम.आई.एस. प्रोजेक्ट

एम.आई.एस.प्रोजेक्ट'' का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु पूर्ण सुनियोजित तरीकों से प्रभावित Information Heirarchy विकसित किया जाना है। यह प्रोजेक्ट 100% भारत शासन से सहायता प्राप्त है।

योजना के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :-

- विभाग में प्रमुख अभियंता कार्यालय से लेकर खंड स्तर तक के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये।
- online मोनिटरिंग हेतु software के विकास एंव उपखण्ड स्तर तक के कम्पयूटरीकरण हेतु रू 204.46 लाख का प्रस्ताव की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त कर का कियान्वयन प्रगतिरत है।
- online मोनिटरिंग हेतु 12 software Modules का सफलता पूर्वक implementation पायलेट जिला कवर्धा, दुर्ग एंव बिलासपुर मे किया जा रहा है।
- प्रदेश की समस्त 72775 बसाहटों की online डाटा एंट्री सफलता पूर्वक पूर्ण कर ddws.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
- भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत समस्त बसाहटों की जानकारी, पेयजल गुणवत्ता, संपूर्ण स्वच्छता अभियान एंव शाला आदि की जानकारी भी online डाटा एंट्री कर उपलब्ध कराई गई।
- योजना के अन्तर्गत विभागीय कम्प्यूटरीकरण का विस्तार उपखंड स्तर तक किया जाना है ।

नगरीय क्षेत्र :

प्रदेश में कुल 110 नगर है जिनका निकायों के गठन की दृष्टि से वर्गीकरण क्रमशः नगर पालिक निगम - 10, नगर पालिका परिषद - 28, नगर पंचायत - 72 है ।

नगरीय नलजल योजना एक दृष्टि में :-

नगरों की श्रेणी	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत योजनाएं	प्रस्तावित
नगर निगम	**10**	**2**	**5**	**3**
नगर पालिका	**28**	**5**	**18**	**5**
नगर पंचायत	**72**	**26**	**19**	**27**
कुल योग	**110**	**33**	**42**	**35**

केन्द्रीय गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है पूर्व स्वीकृत समस्त योजना का कियान्वयन इस वर्ष किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में केन्द्र शासन द्वारा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाऊन (**UIDSSMT**) कार्यक्रम के अंतर्गत 3 नगरीय जलप्रदाय योजनाएं क्रमशः बिलासपुर (41.50 करोड़), रायगढ़ (15.40 करोड़) तथा कोण्डागांव (41.51 करोड़) एवं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (**JN-NURM**) कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर जलप्रदाय योजना लागत रू0 303.64 करोड़ की स्वीकृति हुई है ।

बजटः

केन्द्रीय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 2006-2007 में केन्द्रांश के रूप में रु0 4847.96 लाख भारत शासन ने मुक्त किये । जिसके विरूद्ध रू. 3800.19 लाख व्यय हुआ ।

केन्द्रीय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु केन्द्रांश के रूप में राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की गई है कि राज्य शासन भी इसके समतुल्य राशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) में उपलब्ध कराएगा। राज्य शासन ने तदानुसार समतुल्य से अधिक रु0 11415.00 लाख उपलब्ध कराये । जिसके विरूद्ध रू. 8370.77 लाख व्यय हुआ ।

शहरों की जलप्रदाय योजना के लिये वर्ष 2006-07 में रुपये 2085.80 लाख अनुदान एवं रू. 5773.45 लाख ऋण का प्रावधान है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण निर्मित करने सुपर स्ट्रक्चर युक्त व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा रू. 2025.00 लाख संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है ।

भारत शासन की मार्ग दर्शिका के अनुसार जलगुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक स्त्रोत के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिये रू. 442.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

सारांशः

राज्य शासन पेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण रुप से शासकीय बजट व केन्द्रीय सहायता से संपन्न करता रहा है। इसमें जन भागीदारी को आवश्यक समझा गया है, ताकि ग्रामवासी योजना को समझें एवं उपयोग करें । इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयत बाबत दिशा निर्देश जारी किये है। दिशा निर्देशों में निहित सिद्धांत निम्नानुसार है:-

- भू-जल के दोहन पर नियंत्रण रखा जाये ।
- स्त्रोतों के रख-रखाव एवं संरक्षण के लिए अधिक धनराशि जुटाई जाये ।
- पेयजल कार्यक्रम में जनभागीदारी बढाई जाये ।
- पेयजल का एक आर्थिक-सामाजिक संसाधन के रुप में उपयोग हो ।
- पेयजल कार्यक्रम को जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से अधिक संबंध किया जाये ।

कार्यक्रम का आर्थिक पहलू भारत सरकार द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है:-

- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में अब से मांग के आधार पर क्रियान्वयन किया जायेगा, ताकि जनभागीदारी में वृद्धि हो और समुदाय के अधिकार को भी ध्यान में रखा जा सकें । आशय यह है, कि योजना का चयन, स्वरूप और संधारण व्यवस्था समुदाय द्वारा ही निर्धारित हो ।
- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की हितभागिता बढाने के लिए किसी भी योजना की निर्माण लागत में 10 प्रतिशत समुदाय के अंश के रूप में वसूल किया जायें । इसी प्रकार योजना का समस्त संचालन तथा संधारण व्यय भी समुदाय द्वारा वहन किया जायें ।

यह आवश्यक है कि, राज्य में नये दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में अध्याय आरंभ किया जाये, जिससे न सिर्फ हितग्राहियों की भागीदारी निर्मित हो बल्कि भूजल के उपयोग एवं अपव्यय पर भी अंकुश लगाया जा सकें । इन सुधारों से अपेक्षा की जा सकती है कि, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल कार्यक्रम के प्रति समुदायों में स्वामित्व की भावना जागृत होगी ।

<u>नलकूप खनन हेतु विभागीय रिगों का विवरण:</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय करने हेतु नलकूप खनन कार्य के लिये विभाग के पास कुल 32 विभागीय रिग है। इनमें से 30 रिगों द्वारा सामान्य नलकूप (डी.टी.एच.) एवं 2 रिगों के द्वारा ग्रेवल पैक नलकूपों का खनन कार्य किया जाता है।

*****